न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2, सांभर लेक, जिला–जयपुर।

पीठासीन अधिकारी	:	इंदु उज्ज्वल, आरजेएस (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	:	57 / 2026 (134 / 2026)
एनसीवी नंबर	:	113 / 2026

जगदेव पुत्र बाबूलाल, उम्र 26 साल, निवासी वार्ड नं. 10, रेनवाल, पुलिस थाना रेनवाल, जिला जयपुर

....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान–राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक सांभरलेक

.....अप्रार्थी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र
अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023,
एफ.आई.आर. नम्बर–122 / 2026, थाना जोबनेर,
अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 61(2) बी.एन.एस.
विरुद्ध आदेश दिनांक 26.05.2026
न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोबनेर

उपस्थित :–

1. श्री सीताराम खद्दा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी / अभियुक्त
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते सरकार

आदेश

दिनांक : 12.06.2026

1. प्रार्थी / अभियुक्त जगदेव की ओर से यह जमानत आवेदन एफ.आई.आर. संख्या– 122 / 2026, थाना जोबनेर में अधिवक्ता ने पेश किया। जमानत आवेदन में प्रार्थी / अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन होना, इसके अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं होना वर्णित किया गया है। नकल अपर लोक अभियोजक को दी गई। जमानत आवेदन पर बहस सुनी गयी।

2. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी गिरफ्तारी की दिनांक से पुलिस अभिरक्षा / न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी / अभियुक्त से कोई

बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के ट्रायल में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। उक्त कथन करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का झांसा देकर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी के खाते से साइबर फ्रॉड किया गया है। प्रकरण में आरोपित खाते से संबंधित 9 शिकायतें साइबर फ्रॉड की दर्ज हुई है। प्रकरण में गिरफ्तारी के संदर्भ में चैक लिस्ट व गिरफ्तारी के आधार के तथ्य पत्रावली पर है। प्रार्थी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है। उक्त कथन करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.05.2026 को परिवादी प्रमोद गवारिया ने पुलिस थाना जोबनेर के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि – ''वह लगभग 7–8 महीने पहले रेनवाल से आरा मशीन पर 6–7 साल से काम कर रहा था। रेनवाल में आरा मशीन पर काम करने के दौरान उसकी जानक. ारी जगदेव रैगर निवासी रेनवाल से हुई थी। जगदेव ने उससे कहा कि वह सरक. ारी योजनाओं का लाभ दिलवा देगा, योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक खाता की आवश्यकता होती है। उसका बैंक खाता नहीं होने के कारण जगदेव ने कहा नया खाता खुलवा देता हूं। वह जगदेव की बातों में आ गया। उसकी बातों में आकर उसके साथ जोबनेर आ गया। जगदेव ने बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता ई–मित्र की दुकान पर खुलवा दिया, जिसके नम्बर 92160100011760 है। जगदेव ने बैंक खाता की डायरी अपने पास रख ली। कुछ दिन बाद एटीएम आ गया था। दिनांक 13.09.2025 को जगदेव उसके पास एटीएम नं. 6521 5140 3150 3854 व सिम नं. 9351870126 लेने आया और कहा कि सरकारी योजना में ई–मित्र से जुड़वा देता हूं। तुझे काम पर से छुट्टी करने की जरूरत नहीं है। उसे दूसरी सिम दे गया और कहा कि तेरी सिम के फोन इस सिम पर फोरवर्ड कर दिया। उसके और 2 दिन बाद उसका ससुर बीमार होने के कारण वह ससुराल चला गया। वह 15–20 दिन बाद आ गया तो उसने जगदेव से उसकी सिम, बैंक पासबुक, एटीएम मांगा तो उसने कहा कि अभी खाता सरकारी योजनाओं से जुड़ा नहीं है, जुड जाने के बाद ले जाना। कुछ दिन बाद वह रेनवाल से काम छोड़कर चन्दवाजी रहने लग गया। उसने बार–बार जगदेव से उसके खाते का एटीएम, सिम व पास बुक वापस मांगी तो जगदेव टालमटोल करने लग गया। अभी कुछ दिन पहले उसने बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर अपने खाते का दूसरा एटीएम एप्लाई करना चाहा तो उसे बैंक वालों ने बताया कि आपका खाता साइबर फ्रॉड में काम में लिया गया है, इस कारण

साइबर शिकायत पर आपके खाते को फ्रीज कर दिया गया हैं उसने अपने जानकार लोगों से इसके संबंध में राय ली तो उन्होंने बताया कि वह जगदेव के खिलाफ केस करे। जगदेव ने उसके साथ धोखाधडी कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर उसके बैंक खाते का साइबर फ्रॉड में उपयोग में लेकर लोगों के साथ ठगी की है जिसके कारण उसका खाता फ्रीज हो गया है.....आदि।''

6. इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना जोबनेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 122/2026 अंतर्गत धारा 318(4), 316(2) बी.एन.एस. में दर्ज कर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2), 61(2) बी.एन.एस. में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी की ओर से विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोबनेर के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.05.2026 को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया है।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत आपराधिक विवरण के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध निम्न प्रकरण दर्ज होना बताया गया है –

क.सं.	मुकदमा नं. व दिनांक	धारा	सी.एस. नं.	थाना
1.	शून्य			

8. प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 24.05.2026 को गिरफ्तार किया गया है, जिस संदर्भ में गिरफ्तारी के आधार की सूचना, चैक लिस्ट केस डायरी पर है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा षड्यंत्रपूर्वक परिवादी का बैंक में खाता खुलवाकर उक्त खाते को ऑनलाइन ठगी/धोखाधड़ी में प्रयुक्त किये जाने का आरोप है। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जोबनेर के बैंक खाता के 92160100011760 के बैंक स्टेटमेंट की प्रति केस डायरी पर है तथा उक्त बैंक खाते **के खिलाफ साइबर फ्रॉड से संबंधित कुल 9 शिकायतें रजिस्टर्ड** दर्ज होने के तथ्य जाहिर किये गये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में वर्णितानुसार प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा बैंक ऑफ बडौदा शाखा जोबनेर में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर परिवादी के नाम से खाता खुलवाकर ऑनलाइन फ्रॉड किया जाना व उक्त खाते का संचालन प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा किया जाना जाहिर किया गया है। अब तक के अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 61(2) बी.एन.एस. में प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण अभी अनुसंधाधीन है। प्रकरण में इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने की दशा में प्रकरण में प्राप्त होने वाले साक्ष्य व सूत्र नष्ट होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में इस प्रकृति के साइबर ठगी/धोखाधड़ी के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/

अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत नहीं पाया जाता है।

आदेश

9. अतः प्रार्थी / अभियुक्त जगदेव पुत्र बाबूलाल, उम्र 26 साल, निवासी वार्ड नं. 10, रेनवाल, पुलिस थाना रेनवाल, जिला जयपुर की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दीवानी मूल क्षेत्राधिकार रिट पिटिशन सं. 1082 / 2020 बउनवानी सुहास चकमा बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2024 दिशा–निर्देशों के क्रम में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश के संबंध में उच्च स्तर पर उपचार प्राप्त करने हेतु उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता / सुविधा की सूचना हेतु विहित प्रारूपानुसार कवर शीट अभियुक्त पक्ष को सूचना हेतु उपलब्ध करवायी जावे।

(इंदु उज्ज्वल)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2,
सांभर लेक, जिला–जयपुर

10. आदेश आज दिनांक 12.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इंदु उज्ज्वल)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2,
सांभर लेक, जिला–जयपुर